न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. प्रभूराम पुत्र खींवाराम
2. छोटूराम पुत्र खींवाराम
3. नाथूराम पुत्र खींवाराम
   जाति बावरी सा. रोहिण्डी

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गुलाबड़ी फोत के कायम मुकामान
   1/1 भंवरीदेवी पुत्री जेठाराम
   1/2 धापूड़ी पुत्री जेठाराम
   1/3 चूकीदेवी पुत्री जेठाराम
   1/4 शांतिदेवी पुत्री जेठामरा
2. श्रवण पुत्र मोहनराम जाति सभी
   बावरी निवासी रोहिण्डी
3. तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री श्यामनिरंजन बोहरा अधिवक्ता वादीगण
श्री रामनिवास दिवाकर अधिवक्ता प्रतिवादी 1 व 2

मुकदमां नम्बर :– 14/2010 (2010/00031) निर्णय दिनांक :– 26/7/14

निर्णय

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता ने वाद पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम रोहिण्डी के खसरा नम्बर 620 रकबा 18–00 बीघा व खसरा नम्बर 620/1 रकबा 1–00 बीघा भूमि स्थित है। वादीगण के पिता खींवाराम उर्फ खीवड़ा शुरू से ही उक्त भूमि पर काश्त करते थे। तत्कालीन जागीरदार ने काश्त हेतु काश्तकार की हैसियत से सम्वत 1996 अर्थात सन् 1939 के लगभग बताया था। तब से लगातार काश्त करते आये हैं वादीगण के पिता के स्वर्गवास के बाद इन खसरो पर वादीगण काश्त करते आये है। रोहिण्डी की गिरदावरी में प्रथम बार सम्वत 2010 में शुरू हुई थी तब से लगातार गिरदावरी वादीगण के पिता व वादीगण नाम दर्ज हैं जिसका हासल पूर्व में जागीरदार को तथा बाद में राज्य सरकार को अदा करते आये है। वादीगण खसरा नम्बर 620, 620/1 के कानूनन खातेदार काश्तकार बन चुके हैं मारवाड़ टीनेन्सी एक्ट 1949 लागू हुआ एवं राजस्थान काश्तकारी 1955 लागू हुआ तब स्वर्गीय खींवाराम काश्त करते थे, तथा खींवाराम के स्वर्गवास के बाद वादीगण काश्त करते आया है। लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज नहीं होकर प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई जिससे प्रतिवादी 1 की नियत में फर्क आ गया हैं वह कुछ असामाजीक व्यक्तियों के सहयोग से वादीगण को बेदखल करना चाहती हैं तथा राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करना चाही हैं। वादीगण ने वाद पेश

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

कर ग्राम रोहिण्डी के खसरा नम्बर 620, 620/1 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व खसरा नम्बर 654 से नाम हटाये जाने की इस्तदुआ की है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.02.2002 को प्रतिवादी 1 की ओर से वकील श्री रामनिवास दिवाकर ने वकालतनामा पेश किया है, तथा दिनांक 26.03.2002 को प्रतिवादी स्वंय उपस्थित हुआ। प्रतिवादी 1 ने जबाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया हैं कि वादीगण के पिता खींवड़ा खसरा नम्बर 620, 620/1 पर शुरू से ही कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। बल्कि शुरू से ही प्रतिवादीया गुलाबड़ी का पति काश्त करता आ रहा हैं तथा वर्तमान में प्रतिवादीनी काश्त करती आ रही है। वादी ने सम्वत 1996 अर्थात सन् 1939 में जागीरदार द्वारा खींवड़ा को काश्त हेतु दिया जाना अलग अंकित किया हैं सम्वत 2010 में एक वर्ष के लिये बाटे पर प्रतिवादी 1 के पति द्वारा खीवडा को हासल पर दिया था जिससे खसरा गिरदावरी खीवड़ा दर्ज हो गई तो भी वादीगण को इससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उक्त भूमि शुरू से ही प्रतिवादीनी की खातेदारी में दर्ज हैं तथा मौके पर कब्जा काश्त भी प्रतिवादीनी का ही हैं खसरा नम्बर 620, 620/1 के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 654 नहीं हैं बल्कि उत्तर दिशा में आया हुआ हैं खसरा नम्बर 654 का भी खातेदारी इन्द्राज वादीगण के पिता व मोहनलाल पुत्र लालू ने बिलकुल गलत कराया हैं यह जमीन भी प्रतिवादीया के पति के काश्त कब्जे में रही हैं, उक्त तीनों खसरान की भूमि में अन्य किसी को कोई अधिकारी नहीं हैं यह भूमि पूर्व में वादीनी के पति व उसके बाद वादीनी की खातेदारी कब्जे काश्त में चली आ रही हैं। वादीगण के पिता व प्रतिवादीया के पति गांव में एक ही गुवाडी में रहते हैं वादीगण के पिता ने खसरा नम्बर 620, 620/1 की जमीन काश्त हेतु लेने की इच्छा जाहिर करने पर सम्वत 2010 में एक वर्ष के लिए उक्त चौथे बाटे के हासल अनुसार वादीगण के पिता को काश्त हेतु दी जिस पर उसने एक वर्ष का हासल भी प्रतिवादीनी पति जेठाराम को मण मोठ के रूप में दिया था वादीगण के पिता न्याति समाज में पंच थे जिन्होने राजस्व कर्मचारियों से सांढ गाढ कर खसरा गिरदावरी में अपना नाम दर्ज करवा लिया हैं तथा जबरन प्रतिवादीनी को बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा हैं जिससे प्रतिवादीनी ने काउन्टर क्लेम पेश कर खसरा नम्बर 620, 620/1, 654 में प्रतिवादीनी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में वादीगण द्वारा दखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की इस्तदुआ की है। प्रतिवादी 2, 3 का सम्मन विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात वाद में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :-

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

1– आया ग्राम रोहिण्डी के खसरा नम्बर 620, 620/1 पर वादीगण का कब्जा काश्त हैं तथा वे खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने के अधिकारी हैं ? जिम्मे वादीगण

2– आया खसरा नम्बर 654 में वादीगण का कोई अधिकार नहीं है ? जिम्मे वादीगण

3– आया उक्त खसरा नम्बर प्रतिवादीया का कब्जा काश्त एवं रिकार्डेड खातेदार होने से वादीगण का दावा खारिज योग्य है? जिम्मे प्रतिवादी

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू – 1 प्रभूराम एवं पी.डब्ल्यु – 2 गवाह श्रवणराम के बयान लिये गये ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी वादी में डी. डब्ल्यू – 1 प्रतिवादी गुलाबडी एंव डी.डब्ल्यू – 2 गवाह नर्बदादेवी के बयाने लिये गये ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने सम्वत 2055 से 2058 की जमाबन्दी पेश की हैं इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। तत्पश्चात उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया जाकर वादीगण के वाद का तनकीवार निर्णय इस प्रकार से हैं कि :–

1– आया ग्राम रोहिण्डी के खसरा नम्बर 620, 620/1 पर वादीगण का कब्जा काश्त हैं तथा वे खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने के अधिकारी हैं।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि ग्राम रोहिण्डी के खसरा नम्बर 620, 620/1 कुल रकबा 19–00 बीघा भूमि पर जागीर रिज्यूम होने व मारवाड़ काश्तकारी कानून एवं राजस्थान काश्तकारी कानून लागू होने के पूर्व से ही वादीगण के पिता खीवड़ा के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं, जागिर रिज्युम होने के वक्त गलती से खातेदारी प्रतिवादीनी 1 के पति जेठाराम के नाम दर्ज हो गई, जो गलत हैं वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से वादीगण के पिता एवं उसके बाद वादीगण का कब्जा काश्त होने से इस भूमि की खातेदारी वादीगण के पिता के नाम दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन गलती से इस भूमि की खातेदारी दर्ज नहीं होकर खसरा नम्बर 654 में वादीगण के पिता का नाम दर्ज हो गया जबकि खसरा नम्बर 654 पर कभी भी वादीगण एवं वादीगण के पिता का कब्जा काश्त नहीं रहा हैं, न ही खसरा नम्बर 654 की भूमि से वादीगण का कोई लेना देना है। सेटलमेन्ट के पूर्व से वादीगण का कब्जा काश्त होने से खसरा नम्बर 620, 620/1 की सम्पूर्ण भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जिसकी तायद में वादीगण ने जमाबन्दी सम्वत 2055–58 पेश की हैं जिसमें खसरा नम्बर 620, 620/1

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

कुल रकबा 19–00 बीघा भूमि की खातेदारी गुलाबड़ी बेवा जेठाराम कौम बावरी सा. देह खातेदारी एवं खसरा नम्बर 654 रकबा 13–9 बीघा भूमि प्रभू, छोटू, नाथू पि. खिवड़ा 1/3 हिस्सा, मोहन पुत्र लालु 1/3 हिस्सा गुलाबड़ी बेवा जेठाराम 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज वादीगण पेश नहीं किया हैं जिससे ग्राम रोहिण्डी के खसरा नम्बर 620, 620/1 पर वक्त सेटलमेन्ट के समय से पूर्व से ही वादीगण के पिता या वादीगण का कब्जा काश्त साबित होता हो, न कोई गिरदावरी रसीद पेश नहीं हैं न ही कोई बिगोड़ी रसीदे पेश की हैं। जिससे विवादित आराजीयत पर वादीगण का कब्जा काश्त वक्त सेटलमेन्ट के समय से साबित नहीं होता हैं। जिससे तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2– आया खसरा नम्बर 654 में वादीगण का कोई अधिकार नहीं है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था, वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि खसरा नम्बर 654 पर वादीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा हैं न ही वादीगण के पूर्वजो का कभी रहा हैं सेटलमेन्ट की गलती से नाम दर्ज हो गया है। प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार वादीगण इस भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस सम्बन्ध में वादीगण का कोई अधिकार हक हिस्सा नहीं हैं इस सम्बन्ध में वादीगण ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं न ही इस सम्बन्ध पर किस का अधिकार हैं यह बतावा हैं वादीगण ने खसरा नम्बर 654 में किसी प्रकार का अधिकार नहीं बता कर खसरा नम्बर 620, 620/1 की खातेदारी घोषणा करवाने हेतु यह वाद पेश किया हैं। केवल मात्र यह तथ्य अंकित कर मनघडन्त रूप से तर्क दिया हैं कि खसरा नम्बर 654 में कोई अधिकार नहीं हैं न ही वादीगण ने कोई मौखिक साक्ष्य पेश की हैं जिन्होनें खसरा नम्बर 654 पर वादीगण का कोई अधिकार या कब्जा काश्त होना नहीं बताया हो। जिससे तनकी संख्या 2 वादीगण सिद्ध करने में असफल रहे हैं जिससे तनकी संख्या 2 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

3– आया उक्त खसरा नम्बर प्रतिवादीया का कब्जा काश्त एवं रिकार्डेड खातेदार होने से वादीगण का दावा खारिज योग्य हैं।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी 1 के वारिसान पर था। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि ग्राम रोहिण्डी के खसरा नम्बर 620, 620/1 कुल रकबा 19–00 बीघा भूमि शुरू से ही प्रतिवादी 1 के पति व उसके बाद प्रतिवादीनी 1 की खातेदार कब्जे काश्त की भूमि रही हैं सम्वत 2010 में चुंकि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही ग्राम मोहल्ले में निवास करते आ रहे हैं तो प्रतिवादीनी के पति से हासल के बदले काश्त हेतु एक बार ली थी जिसका हासल भी वादीगण के पिता ने प्रतिवादीनी के पति को दिया था।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

काश्त के आधार सम्वत 2010 में वादीगण के पिता के नाम गिदावरी दर्ज होने के आधार पर वादीगण ने खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया हैं जो चलने योग्य नहीं हैं क्योंकि वादीगण या वादीगण के पिता के नाम इस भूमि की खातेदारी कभी दर्ज रिकार्ड नहीं रही हैं न ही वादीगण या वादीगण के पिता ने लगतार इस भूमि पर काश्त की हैं प्रतिवादीनी एवं प्रतिवादीनी के पति वक्त सेटलमेन्ट के समय से इस भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। वाद के साथ प्रस्तुत जामबन्दी के अवलोकन से भी उक्त भूमि प्रतिवादीनी गुलाबड़ी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं जिसको वादीगण ने भी अपने वाद में स्वीकार किया हैं कि सेटलमेन्ट के वक्त प्रतिवादीनी के पति के नाम उक्त विवादित आराजीयत की खातेदारी दर्ज हो गई थी। उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट के समय से ही प्रतिवादी के पति व प्रतिवादीनी के नाम दर्ज रही हैं जिसकी खातेदारी वादीगण प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नहीं है। जिससे तनकी संख्या 3 प्रतिवादीनी के हक में सिद्ध होती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 1, 2 वादीगण सिद्ध करने में असलफल रहने एवं तनकी संख्या 3 प्रतिवादी 1 के पक्ष में सिद्ध होने से वादीगण का यह वाद खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण साबित करने में असफल रहे हैं जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण साबित करने में असफल रहने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/12/14

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)